

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(नगराजो -0616/2019/जबलपुर/कटांप डाई) =
प्र.क्र. / 2019

आवेदक

- अरुण तिवारी पिता डॉ. श्री लक्ष्मी प्रसाद तिवारी
निवासी- 257/1, राईट टाउन, जबलपुर

विरुद्ध मो.नं. 9358988888

अनावेदक

- म.प्र. शासन
द्वारा- जिला पंजीयक (कलेक्टर आफ स्टाम्प)
जबलपुर

रसा. श्री. तिवारी कोरिप
20-5-19

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 56(4) भारतीय स्टाम्प एक्ट 1899

11-6-19

जिला पंजीयक (न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प) जबलपुर द्वारा



प्रकरण क्र. 76/बी-103/धारा 40/2018-19 में पारित आदेश दिनांक
31.03.2019 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा निम्नलिखित तथ्य एवं
आधार पर पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है :-

(Handwritten signature)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्र

प्रकरण क्रमांक R-616/2019/जाल्म/ST

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-06-19	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वापिस चाहा गया। प्रकरण आवेदक के निवेदन पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये वापिस किया जाता है।</p> <p> श्री</p>	<p> अध्यक्ष</p>